

इसे वेबसाइट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 28 जनवरी 2025—माघ 8, शक 1946

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2025

क्र. एफ-1-11-0001-2025-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों
को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के हिन्दी पाठ में निम्नलिखित संशोधन करती
है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में सर्वत्र, शब्द “आयुक्त, निःशक्तजन”, जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर “आयुक्त, दिव्यांगजन”, स्थापित
किए जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकिता धाकरे, उपसचिव.